मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(अपील कमाँक ए–42)

श्री पंकज गजभिये, **अपीलार्थी**

नार्थ–81/7 साउथ टी.टी. नगर,भोपाल

विरूद्ध

उप सचिव

म0प्र0शासन,खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा **लोक सूचना अधिकारी,**

उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

भोपाल

(अपील कमाँक ए–42)

आदेश

(07.04.2006)

यह अपील श्री पंकज गजभिये ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रस्तुत की है अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव, खाद्य एवं नागरिक तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल में निम्न जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर 2005 को आवेदन पत्र दिया था–

(अ) म0प्र0राज्य उपभोक्त संरक्षण नियमावली में राज्य आयोग तथा जिला फोरम में आवश्यक्तानुसार कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे दिया गया है।

(ब) क्या म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम में नियुक्त होने वाले कर्मचारीं के लिये कोई भर्ती नियम है यदि हॉ तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें।

(स) राज्य आयोग में पूर्व में कार्यरत प्रशासकीय अधिकारी श्री प्रभाकरन पिल्लई के विरूद्ध अपने पुत्र पुत्रियों, नजदीकी रिश्तेदारों, राज्य आयोग के अन्य कर्मचाारियों के रिश्तेदारों को अवैध/भ्रष्टाचार तरीके से नियुक्त करने की कोई शिकायत राज्य सरकार/राज्य आयोग को प्राप्त हुई है यदि हॉ तो शिकायत का विस्तार से विवरण दें।

(द) क्या उपरोक्त नियुक्तियों से संबंधित विषय उपभोंक्ता संरक्षण परिषद् की पिछली बैठक जो वर्ष 2003 में हुई थी एजेण्डा के रूप में रखा गया था। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण 09.10.03 को आयुक्त, खाद्य्य नागरिक आपूर्ति द्वारा जारी किया गया था इसमें शासन ने पृथक से कार्यवाही करने का क्या कोई उल्लेख किया था।

(इ) क्या राज्य शासन द्वारा इन अवैध नियुक्तियों के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है यदि हॉ तो कार्यवाही विवरण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज।

(ई) क्या श्री प्रभाकरन पिल्लई द्वारा अपनी पुत्री प्रिया पिल्लई की नियुक्ति स्वयं के हस्ताक्षर से की गई थी और यह नियुक्ति क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है जिस दिन आवेदन दिया गया उसका दिनांक और जिस दिन नियुक्ति आदेश जारी किया गया उसका दिनांक आवेदन पत्र एवं नियुक्ति संबंधी संपूर्ण नोटशीट की सत्यापित प्रति इसके बाद इन्हें आपाती नियुक्ति से अस्थाई नियुक्ति दी गई उससे संबंधी संपूर्ण दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि ।

(उ) क्या नियमों के तहत स्टेनोग्राफर के पद के विरूद्ध (तत्कालीन पद) निम्न श्रेणी लिपिक (वर्तमान पद सहा0ग्रेड–3) के पद पर नियुक्ति की जा सकती है। हॉ/नहीं।

(ऊ) जिस दिनांक को प्रिया पिल्लई द्वारा आवेदन किया गया उस दिनांक को उनकी उम्र क्या थी और जिस दिनांक को नियुक्ति दी गई उस दिनांक को उनकी उम्र क्या थी और उस पद के लिये न्यूनतम उम्र की क्या सीमा रखी गई हैं

(अं) म0प्र0राज्य आयोग द्वारा राज्य आयोग के गठन के बाद राज्य आयोग एवं जिला फोरम के लिए कितने कर्मचारियों को किस भर्ती नियम के तहत नियुक्ति दी गई उसका विवरण भर्ती नियम का विवरण जिसके तहत भर्ती की गई तथा इससे संबंधित सभी दस्तावेज और जिन्हें नियुक्ति दी गई गई उनके सगे संबंधी पूर्व से राज्य आयोग में किस पद पर कार्यरत थे उसका पूर्ण विवरण।

2. अपीलकर्ता से निर्धारित 30 दिन की अवधि में जानकारी नही मिलने पर उसने एक अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप सचिव, खाद्य एवं नागरिक तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रस्तुत की थी । इस अपील के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि एक अन्य व्यक्ति जो अपीलकर्ता नहीं था उनके समक्ष उपस्थित हुए थे । उन्हें यह बताया गया था कि अपीलकर्ता ने जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है उसका संबंध मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, (आयोग)से संबंधित है और यह जानकारी उनसे प्राप्त की जा सकती है। इस आशय का एक पत्र भी अपीलकर्ता को दिनांक 10.02.06 को भेजा गया था । लेकिन, वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

3. इस प्रकरण में मौखिक सुनवाई दिनांक 07 अप्रैल 06 को रखी गई और अपीलकर्ता को सूचना दी गई । अपीलकर्ता मौखिक सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए। श्री ए.के.जैन, लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव, खाद्य एव नागरिक तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री एस0के0पालो, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उपस्थित हुए । इन दोनों अधिकारियों को इस प्रकरण में सुना गया । वह अपने साथ संबंधित रिकार्ड लाये थे जिनका अवलोकन किया गया । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि अपीलकर्ता ने जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसमें ''अ'' एवं ''ब'' तथा ''द'' की जानकारी सचिवालयीन विभाग से

संबंधित थी और इसकी जानकारी अपीलकर्ता को भेजी गयी थी । शेष जानकारी आयोग से संबंधित थी अतः ज्ञापन क्र03019/3656/05/2/29 दिनांक 19 अक्टूबर 05 को भेजकर आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे और इसकी प्रति अपीलकर्ता को भी दी गई थी। उन्हें एक पत्र दिनांक 06 दिसम्बर 05 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था जो इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि अपीलकर्ता इस पते पर नहीं रहते हैं।

4. लोक सूचना अधिकारी ने अपने लिखित उत्तर में यह भी बताया है कि बिन्दु ''स'' ''द'' ''ई'' से संबंधित बिन्दु आयुक्त, सह संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को कार्यवाही हेतु 23.11.2005 मे भेजी गई थी उक्त ज्ञापन क्रमां 3355/3983/05/29/2 दिनांक 23.11.05 द्वारा श्री प्रभाकरण पिल्लई, तत्कालीन प्रशासकीय अ धिकारी के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी देने के लिए कहा गया था। लेकिन, अभी तक जानकारी अपेक्षित है। जिन बिन्दुओं में जानकारी आयोंग के द्वारा दी जानी थी उन बिन्दुओं में आयोग ने बिन्दुवार जानकारी उप सचिव म0प्र0 खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 9.11.05 को भेजी थी । आयोग ने यह भी उल्लेखित किया है कि राज्य शासन के निर्देश के बावजूद भी (पत्र क्र आर. टी.आई.–02/2005 दिनांक 06.03.06) अपीलकर्ता ने रजिस्ट्रार कार्यालय से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है और न ही निर्धारित शुल्क जमा कर के प्रतिलिपि प्राप्त करने की कार्यवाही की हैं।

5. अपीलकर्ता के आवेदन एवं प्रथम अपील के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय के संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि अपीलकर्ता ने आवेदन या प्रथम अपील करने के बाद संबंधित कार्यालय से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया उन्हें इस संबंध में पत्र भी भेजा गया लेकिन किसी भी पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और पत्र जो रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया वह भी तामील नही हुआ और इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि अपीलकर्ता उनके द्वारा दिये गये पते पर नहीं रहते । अपीलकर्ता प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए व एक अन्य व्यक्ति को भेजा। राज्य सूचना आयोग ने अपील कीं सुनवाई के संबंध में पत्र भेजा था लेकिन फिर भी अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए। अपीलकर्ता के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल आवेदन देना और अपील करना चाहते हैं। लेकिन, मौखिक सुनवाई के लिये उन्हें या कार्यवाही के लिये बुलाया जाय तो वह स्वयं उपस्थित नहीं होते है ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है। उन्हें जो रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये थे वह भी उन्हें बिना तामीली के वापस हुए हैं।

6. सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्ता को देखते हुये अपीलकर्ता को जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर देना में उचित समझता हूँ। अपीलकर्ता ने जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है उसमें अधिकतर जानकारी प्रश्न उत्तर के रूप में है

अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत सूचना की परिभाषा दी गई है इस परिभाषा में प्रश्न–उत्तर के रूप में जानकारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाहते है उससे संबंधित रिकार्ड को निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अवलोकन करे और अवलोकन के बाद यदि किसी रिकार्ड की प्रति चाहते है तो निर्धारित शुल्क जमा कर उसे प्राप्त कर सकते है। आयोग के रजिस्ट्रार एक सप्ताह के अंदर अपीलकर्ता को रजिर्स्टड पत्र द्वारा संबधित रिकार्ड को अवलोकन करने के लिए अनुमति देगे और यदि अपीलकर्ता किसी रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि चाहते है तो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर उससे प्रति उपलब्ध करायेंगे। इस संपूर्ण प्रकिया को करते समय रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 8 और 11 को समक्ष में रखकर कार्यवाही करेंगें। इस संपूर्ण प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण करके रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग में भेजेंगे पालन प्रतिवेदन एक महीने में भेजेंगे ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त